विस्तृत आख्या

परियोजना का नाम :– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के वि०खं० चिन्यालीसौड़ के अन्तर्गत मरगांव–जसपुर–चमियारी से उलण मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 9.00 किमी. लम्बाई हेतु 4.879 हे० आरक्षित/सिविल वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वांछित भूमि का विवरण (Discription of the Land Required) :– प्रस्तावित मार्ग की स्वीकृति राज्य योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 1648 (1)/13–52, (प्रा.आ.)/2012, दिनांक 04.03.2013 द्वारा 9.00 किमी. लम्बाई स्वीकृत हेतु रू. 113.22 लाख प्राप्त हुई है। 9-00 कि0मी0 में ही मोटर मार्ग ग्राम उलण में जुड़ जायेगा।

उपरोक्त 9.00 किमी. लम्बाई में वांछित प्रभावित भूमि का विवरण निम्नवत् ह –

1.	नाप भूमि	:– 2.2075 हे०।
2.	आरक्षित वन भूमि	:– 3.2025 हे०।
3.	सिविल भूमि	:– 1.330 हे०।
4.	मलवा निस्तारण	:– 0.3465 हे०।

कुल भूमि जो कि मोटर मार्ग निर्माण हेतु आवश्यक है :– (3.2025+1.330+0.3465=4.8790 हे०)

विदित हो कि यह मार्ग धरासू बैण्ड से मरगांव–जसपुर–चमियारी उलण मोटर मार्ग के कि0मी0 10 से आरम्भ होता है ग्राम–पीपलखण्डा से आगे निर्धारित 9.00 किमी0 लम्बाई में ग्राम– उलण पहुंच कर समाप्त होता है। इस मार्ग से ग्राम पीपलखण्डा, गमरी, चांदपुर तथा उलण आदि लाभान्वित होगें। ग्राम–पीपलखण्डा तथा गमरी चांदपुर व उलण की बसावट को संयोजित करने हेतु मार्ग की पूर्ण लम्बाई प्रस्तावित की जा रही है तथा लक्षित मार्ग को संयोजित करने हेतु अतिरिक्त लम्बाई की आवश्यकता नही है।

प्रभावित पेड़ो का विवरण :– मोटर मार्ग में कुल 532 वृक्ष प्रभावित हो रहे है। इनमें से आरक्षित/सिविल वन भूमि के 499 वृक्ष व नाप भूमि के 33 वृक्ष, इनमें से चीड़ प्रजाती के 487 वृक्ष, तून के 6 वृक्ष, भीमल के 16 वृक्ष, सादण के 9 वृक्ष, खड़की के 3 वृक्ष, यूकेलिपिटिक्स के 1 वृक्ष, झकरेड़ा के 3 वृक्ष, ककडाली के 1 वृक्ष, तिमली के 2 वृक्ष, जामुन के 1 वृक्ष, सेमल के 1 वृक्ष, वकरेड़ा के 1 वृक्ष कचलार के 1 वृक्ष प्रभावित हो रहे है, जिसमें से 10–20 व्यास के 73 वृक्ष, 20–30 व्यास के 119 वृक्ष, 30–40 व्यास के 119 वृक्ष, 40–50 व्यास के 118 वृक्ष, 50–60 व्यास के 78 वृक्ष, 60–70 व्यास के 13 वृक्ष, 70–80 व्यास के 06 वृक्ष, 80–90 व्यास के 04 वृक्ष व 90 से अधिक व्यास के 02 वृक्ष आ रहे है।

मोटर मार्ग का संक्षिप्त विवरण :– प्रस्तावित मोटर मार्ग से ग्राम गमरी (आबादी 500) ग्राम–उलण (आबादी 250) लाभान्वित हो रहे है। यह मार्ग विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ जिला उत्तरकाशी (उत्तराखण्ड) में स्थित है। इस मार्ग में नाप भूमि, सिविल भूमि एवं आरिक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है, जिस हेतु वन भूमि प्रस्ताव गठित किया गया है।

मोटर मार्ग को वन भूमि में अवस्थित करने का औचित्य :– वर्तमान में ग्राम उलण के ग्रामवासियों को अपनी दैनिक आवश्यकताओं एवं अपने कृषि उत्पादों को रोड़ हैड तक पहुचाने हेतु लगभग 6.00 किमी. की पैदल

रो तय करनी पड़ती है। मोटर मार्ग के अभाव में क्षेत्रवासियों उचित चिकित्सा सेवायें नही मिल पा रही है, जिस कारण गर्भवती महिलाओं एवं अन्य रोगियों के जीवन का जोखिम बना रहता है। मोटर मार्ग से असंयोजकता के कारण क्षेत्रीय जनता अनेकाएक लोगों से वंचित है तथा पिछड़ेपन का शिकार है। ग्रामवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है। ग्रामवासी अपने नगदी फसलों यथा संतरे, अदरख, आलू, नींबू इत्यादि को रोड़ हैड तक पैदल अथवा खच्चरों से लाया जाता है तथा उनके उत्पादों का उन्हे सही लाभ नही मिल पाता। मोटर मार्ग से संयोजकता हो जाने के उपरान्त ग्रामवासियों का सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में प्रगति होने व साथ–साथ गांव से नव युवकों का पलायन रूकेगा। मार्ग निर्माण में प्रभावित 4.879 हे० वन भूमि, जो कि सर्वेक्षण पश्चात चिन्हित की गयी है, न्यूनतम है तथा समरेखण को इस प्रकार प्रस्तावित किया गया है कि वृक्षों का न्यूनतम पातन हो। इस प्रस्तावित समरेखण के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक समरेखण नही है, जिसमें इससे कम वृक्षों का पातन हो। वन भूमि 7.00 मीटर चौड़ाई में लिया जाना प्रस्तावित किया जा रहा है, जिस पर निर्माण किया जायेगा।

भूगर्भवेता की निरीक्षण आख्या से भी स्पष्ट होता है कि इस प्रस्तावित समरेखण में मार्ग निर्माण भूगर्भ की दृष्टि से सुरक्षित है। समरेखण में कोई भी कब्रिस्तान, अत्येष्टि स्थल, धार्मिक/ऐतिहासिक/पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल/स्थान प्रभावित नही हो रहा है।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगोचर रखते हुये जनहित में 4.879 हे० वन भूमि को मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रदत्त करने की कृपा करें।

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
उत्तरकाशी

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माणखण्ड,लो.नि.वि.
उत्तरकाशी